खाद्य सुरक्षा योजना

राजस्थान राज्य के ऐसे नागरिक जो अपना राशन कार्ड बनवा चुके हैं और खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम जोडना चाहते हैं उन्हे इसके लिए ई-मित्र पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। ज्ञात हो की खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ही लोग चावल, गेंहू एंव अन्य राशन बाजार दामों से कम में हासिल करते हैं। ऐसे में जो भी लोग NFSA द्वारा दी जाने वाली यह सेवाएं पाना चाहते हैं उन्हे **eMitra** पर आवेदन करना होगा।

क्या है खाद्य सुरक्षा योजना

भारतीय संसद में खाद्य सुरक्षा योजना अधिनियम को 2013 में पारित किया था। इस बिल के तहत देश के गरीब एंव निर्धन लोगों को बाजार दामों के मुकाबले राशन बेहद कम कीमत में दिया जाता है।

दस्तावेज की सूची :–

1. आधार कार्ड
2. भामाशाह कार्ड
3. जाति प्रमाण पत्र
4. राशन कार्ड

क्या है राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना ?

इस योजना के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है के सरकारी द्वारा दिया जाने वाला राशन जरुरतमंदो को मिल सके।

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन करने का दूसरा चरण|

Rajasthan Khadya Suraksha, Apply, Online Registration Form 2020

1. इसमें आपको सबसे पहले इससे संबंधित वेबसाइट पर जाना होगा जिसका लिंक यह है। http://emitraapp.rajasthan.gov.in/